उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

सी०सी०ए० (प्रतिदिन थाना में हाजरी) वाद संख्या–76 / 2023

राज्य बनाम् विभांशु भारद्वाज उर्फ बासु

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख

22/01/2024

–:: आदेश ::–

पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ का ज्ञापांक–353 / डी०सी०बी०, दिनांक–01.08.2023 द्वारा कुख्यात अपराधकर्मी विभांशु भारद्वाज उर्फ बासु पे०–विजय सिंह, सा०–भुरकुण्डा, जनता टॉकिज, थाना–पतरातू (भु०), जिला–रामगढ़ के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम–2002 की धारा–3 के तहत् प्रतिदिन थाना में हाजरी लगाने से संबंधित प्रस्ताव अनुशंसा के साथ प्राप्त हुआ है।

प्राप्त प्रस्ताव का अवलोकन किया। अभियुक्त को उनका पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा लिखित अभिकथन में कहा गया है कि विपक्षी पर लगाऐ गऐ सारे आरोप गलत, आधारहीन एवं काल्पनिक है। उन्होने आगे कहा है कि जो विपक्षी के विरूद्ध पतरातू (भुरकुण्डा) थाना काण्ड संख्या–119 / 2020, दिनांक–09.06.2020, धारा–323 / 341 / 384 / 385 / 387 / 34 भा०द०वि० के अंतर्गत केस दायर है के संबंध में कहना है कि उक्त वाद में विपक्षी को जमानत मिल चूकी है। उन्होनें वाद को रद्द करने का अनुरोध किया है। राज्य की ओर से विद्वान सरकारी अधिवक्ता के बहस को सुना।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता का कहना है कि पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ के द्वारा प्राप्त अनुशंसा एवं लोक व्यवस्था, विधि व्यवस्था एवं अपराधिक गतिविधि पर पूर्णनियंत्रण तथा क्षेत्र में लोक–शांति बनाये रखने हेतु विपक्षी के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम–2002 की धारा–3 के तहत् कार्रवाई की जा सकती है।

उपरोक्त के आलोक में इस न्यायालय के सम्मुख तीन मुख्य विचारणीय प्रश्न है।

1. क्या झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 की धारा 3(1) (a) के आलोक में विपक्षी असामाजिक तत्व है?
2. क्या झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 की धारा 3(1)(b)(i) अथवा 3(1)(b) (ii) की शर्तें पुरी हो रही है?
3. क्या विपक्षी के प्रतिदिन थाना में हाजिरी लगाने का आदेश देने का reasonable ground है?

Sec 3. Externment etc. of anti- social elements. –

(1) Where it appears to the District Magistrate that-

(a) Any person is an anti-social element; and

(b) (i) that his movements or acts in the district or any part thereof are causing or calculated to cause alarm, danger or harm to persons or property; or

(ii) that there are reasonable grounds for believing that he is engaged or about to engage, in the district or any part thereof, in the commission of any offence punishable under Chapter XVI or Chapter XVII of the Indian Penal Code, or under the Suppression of Immoral Traffic in Women and Girls Act, 1956 or abetment of such offence;

राज्य की ओर से विद्वान सरकारी अधिवक्ता के बहस को सुना। पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है अभियुक्त के विरूद्ध निम्न अपराधिक इतिहास जैसे गंभीर काण्डों में आरोपित रहा है :-

1. पतरातू (भुरकुण्डा) थाना काण्ड संख्या–119 / 2020, दिनांक–09.06.2020, धारा–323 / 341 / 384 / 385 / 387 / 34 भा०द०वि०।

अभियुक्त के विरूद्ध कई सनहा दर्ज है :-

1. पतरातू (भुरकुण्डा) थाना सनहा संख्या–17 / 2023, दिनांक–18.07.2023,
2. पतरातू (भु०) थाना सनहा संख्या–24 / 2023, दिनांक–21.07.2023 एवं
3. पतरातू (भु०) थाना सनहा संख्या–16 / 2023, दिनांक–26.07.2023

जिसमें इनके उपर ठिकेदारों / व्यावसायियों तथा सी०सी०एल० के पदाधिकारियों / कर्मियों को धमकाने और रंगदारी मांगने की सूचना दर्ज है। तथा ये भी अंकित है कि विपक्षी श्रीवास्तव गिरोह का सदस्य है तथा भयादोहन करने व रंगदारी मांगने का कार्य करता है।

असामाजिक तत्व की परिभाषा CCA Act. 2002 के 2(d) में दी गयी है जिसके अनुसार :-

"Anti-social element" means a person who-

(i) either by himself or as a member of or leader of a gang, habitually commits or attempts to commit or abets the commission of offences punishable under Chapter XVI or Chapter XVII of the Indian Penal Code; or

(ii) habitually commits or abets the commission of offences under the Suppression of Immoral Traffic in Women and Girls Act, 1956;

(iii) who by words or otherwise promotes or attempts to promote, on grounds of religion, race, language, caste or community or other grounds whatsoever, feelings of enmity or hatred between different religions, racial or language groups or castes or communities; or

(iv) has been found habitually passing indecent remarks to, or teasing women or girls; or

(v) who has been convicted of an offence under sections 25,26,27, 28 or 29 of the Arms Act of 1959.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विजय नारायण सिंह बनाम बिहार राज्य 1984 में "habitual" अभिव्यक्ति की व्याख्या की है।

"Habitual means a thread of continuity stringing together similar repetitive acts and not some isolated, individual and "dissimilar" acts. The expression "habitually" means "repeatedly" or "persistently"

उपर उल्लेखित विपक्षी के अपराधिक इतिहास से स्पष्ट होता है कि द्वितीय पक्ष गैंग के सदस्य के रूप में IPC Chapter XVI & XVII के अपराधों को habitually commit करते है। तथा ठेकेदारों से रंगदारी वसूलना तथा उसके लिए भयादोहन करने का कार्य करते हैं। पतरातू (भुरकुण्डा) थाना काण्ड संख्या–119/2020 के दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि इनके उपर जान मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप है। ये वर्त्तमान में न्यायिक हिरासत से जमानत पर मुक्त है।

पतरातू (भुरकुण्डा) थाना सनहा संख्या–17/2023, दिनांक–18.07.2023, पंतरातू (भु०) थाना सनहा संख्या–24/2023, दिनांक–21.07.2023, पतरातू (भु०) थाना सनहा संख्या–16/2023, दिनांक–26.07.2023 इत्यादि के न्यायिक आदेश का अवलोकन किया। विपक्षी को इन वादों में जमानत होने के कारण प्रायः सभी गवाहों का trial के समय "hostile witness" घोषित हो जाना है। कई वादो में injured-com-eye witness तथा infornant भी trial के समय hostile witness घोषित किए गये है।

पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ के प्रतिवेदन तथा थाना में काण्ड एवं दर्ज सनहा से प्रतीत होता है कि विपक्षी द्वारा संबंधित काण्ड के गवाहों को तथा वादी को डराया धमकाया जाता है तथा पुलिस के पास कम्पलेन करने पर अंजाम भुगतने का धमकी दिया जाता है। अतः इस बात की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता की उपरोक्त वादों के गवाह threat के कारण hostile witness हो गये हों।

अतः a thread of continuity stringing together similar repetitive acts हैं। और यदि इसमें कोई भी gap apparent प्रतीत होता है तो वो प्रायः इसलिए है कि विपक्षी उस दौरान न्यायिक हिरासत में था। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कारण पृच्छा अथवा बहस में इसके विपरीत कोई दलील या साक्ष्य भी नहीं दिया गया है। अतः निःसंदेह Sec 2(d) के आलोक में विपक्षी असामाजिक तत्व है।

साथ ही स्पष्ट है कि धारा 3(1) (b) (i) के अनुरूप इनके

"movements or acts in the district or any part thereof are causing or calculated to cause alarm, danger or harm to persons or property; "

साथ ही अपराधिक इतिहास और दर्ज सनहा से "there are reasonable grounds for believing that he is engaged or about to engage, in the district or any part thereof, in the commission of any offence punishable under Chapter XVI or Chapter XVII of the Indian Penal Code, " जो 3(1) (b) (ii) की शर्तो को भी पूरा करता है।

अपराधिक इतिहास एवं विभिन्न सनहा में दर्ज तथ्य तथा पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन से पता चलता है कि विपक्षी जब से जेल से छुटकर आया है तब से अपने घर पर न रहकर बाहर से ही व्यावसायियों एवं ठिकेदारों को रंगदारी की मांग करते हुए धमकी देते रहते है। जिससे लोगों में भय का माहौल व्याप्त है। ये विभिन्न श्रोतों से खबर भेजवाकर या खुद जाकर अपना प्रभाव क्षेत्र के ठिकेदारों/व्यांवसायियों तथा सी०सी०एल० के पदाधिकारियों/कर्मियों को लेवी के लिये भयाक्रांत करते रहते हैं।

उपरोक्त परिस्थिति में इनके अपराधिक इतिहास को देखते हुए इस बात की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि जिला बदर कर दिए

जाने पर भी ये अवांछित रूप से जिला में प्रवेश करेंगे तथा विभिन्न श्रोतों से खबर भेजवाकर या खुद जाकर लेवी के लिए भयाक्रांत करेंगे अथवा संबंधित वाद के गवाहों व वादी को डराएंगे–धमकाएंगे। अतः इनकी गतिविधियों पर प्रतिदिन निगरानी रखना आवश्यक है। इन्हें प्रत्येक दिन थाना पर हाजरी उपस्थिति दर्ज कराकर निगरानी करने पर आमजनों में दहशत का माहौल नियंत्रित रहेगा तथा आम लोगों का मनोबल बढेगा, साथ ही अपराधिक घटनाओं में भी कमी आयेगी।

अतः विद्वान सरकारी अधिवक्ता, रामगढ़ के द्वारा बहस के दौरान दिये गये मंतव्य एवं पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ द्वारा प्राप्त अनुशंसा से सहमत होते हुए विधि–व्यवस्था/लोक शांति बनाए रखने तथा अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से कुख्यात अपराधकर्मी विभांशु भारद्वाज उर्फ बासु पे०–विजय सिंह, सा०–भुरकुण्डा, जनता टॉकिज, थाना–पतरातू (भु०), जिला–रामगढ़ के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम–2002 की धारा–3(3)(b)(i), (ii)&(iii) के तहत् निम्न आदेश दिया जाता है :–

1. अपराधकर्मी विभांशु भारद्वाज उर्फ बासु को अगामी 06 (छः) महीने के लिए **प्रतिदिन 10:00 बजे पूर्वाह्न में थाना प्रभारी, पतरातू के समक्ष हाजरी** लगाने हेतु आदेश दिया जाता है।
2. यदि कोई अनुज्ञप्ति (Licence) धारित शस्त्र है तो अविलम्ब उसे स्थानीय थाने में जमा करायेंगे एवं इस अवधि में किसी भी स्थिति में शस्त्र धारित नहीं करेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागु समझा जाय। इस आदेश का उल्लंघन झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 की धारा 25 तथा भारतीय दण्ड संहिता, इत्यादि की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दंडनीय होगा। आदेश की प्रति अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई तथा अनुपालन सुनिश्चित करवाने हेतु पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ तथा थाना प्रभारी, पतरातू को भेजें। इसी आदेश के साथ वाद निस्तार किया जाता है।

Chandan 22/07/24

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
रामगढ़।

Digitally signed by Chandan Kumar
Date: 2024.02.03 12:29:13 +05:30
Location: 192.168.0.37